राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :— श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या — 167/2024

उनवान

1. तहसीलदार रामसर। बनाम 1.श्री इदरीश पुत्र हाजी सोहबत जाति मुसलमान निवासी होथीयाणीयों की बस्ती देरासर ।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 177 राज0का0अधिनियम 1955

राजस्व आवेदन संख्या 167/2024 **आदेश** दिनांक 17.04.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार रामसर द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी समाप्त करनें एंव बेदखली बाबत इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया हैं कि राजस्व ग्राम होथियाणीयों की बस्ती (देरासर) में सयुंक्त खातेदारी खसरा नंबर 607/349 रकबा 0.1862 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में इदरीश पुत्र हाजी सोहबत कौम मुसलमान निवासी होथियाणीयों की बस्ती (देरासर) की पूर्ण हिस्सा खातेदारी स्थित है। पटवारी हल्का देरासर व भू अभिलेख निरीक्षक हल्का सियाणी द्वारा मोका निरीक्षण करते समय ध्यान में आया कि ग्राम होथियाणीयों की बस्ती (देरासर) के खातेदारी खसरा नंबर 607/349 रकबा 0.1862 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में इदरीश पुत्र हाजी सोहबत कौम मुसलमान निवासी होथियाणीयों की बस्ती (देरासर) ने अपनी सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.1862 हैक्टेयर भूमि मे बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकति के ईटों की फैक्टरी लगाकर लगाकर कृर्षि भूमि का कृर्षि से गैर कृर्षि औधोगिक उपयोग में ले रहा है। खातेदार द्वारा शर्तो भंग कर नियमों का उल्लंघन किया है। अतः खातेदार इदरीश पुत्र हाजी सोहबत की खातेदारी कृर्षि भूमि खसरा नंबर 607/349 रकबा 0.1862 हैक्टेयर हिस्से मेसे रकबा 17550 वर्गफीट भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त कर रकबा सरकार लिया जानें का निवेदन किया गया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी श्री इदरीश पुत्र हाजी सोहबत जाति मुसलमान निवासी होथीयाणीयों की बस्ती देरासर को इस कार्यालय के पत्रांक 06.11.2024 को सम्मन जारी कर तलब किया जाकर दिनांक 21.11.2024 को न्यायालय में अपना जवाब रखनें हेतु तारीख मुकर्रर की गई बावजूद नोटिस तामील के विप्रार्थी अनुपस्थित रहा समुचित अवसर दिये जानें के उपरान्त भी विप्रार्थी स्वंय या उसके वकील में से कोई भी आज दिनांक तक उपस्थित नही होंने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाइ गई। तहसीलदार (भूमिधारी) रामसर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2024 के सलग्नं दस्तावेजों में सलग्नं विप्रार्थी की खातेदारी ग्राम होथियाणीयों की बस्ती (देरासर) में सयुंक्त खातेदारी खसरा नंबर 607/349 रकबा 0.1862 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति कृर्षि भूमि का गैरकृर्षि ईटों की फैक्टरी लगाकर औधोगिक उपयोग में ली जा रही भूमि रकबा 17550 वर्गफीट भूमि का खातेदारी शर्तो का उल्लंघन करनें से विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 607/349 रकबा 0.1862 हैक्टेयर खातेदारी भूमि मे से नजरी नक्शा एंव खसरा नंबर भू नक्शा खसरा नंबर 607/349 में दर्शाई गई ईटों की फैक्टरी की भूमि का रकबा 17550 वर्गफीट भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त कर बिलानाम सरकार (सिवाय चक) राजस्व रेकार्ड में दर्ज करनें के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार रामसर को निर्देषित किया जाता हैं कि न्यायालय के आदेशानुसार पालना सुनश्चित करे ।

आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर आदेश जारी किया गया।

17/4/2026

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
उपखण्ड अधिकारी, रामसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.27 10:24:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner